तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पुष्पेन्द्रसिंह **बनाम** लो.सू.अ.(तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 212/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.20	अपीलार्थी पुष्पेन्द्रसिंह, पता म.नं. 2/1472, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.09..20 में उसके द्वारा (1) गांव कापरड़ा तहसील बिलाड़ा के खसरा नं0 301/75 एवं ख.नं. 301/74 की भूमि संपरिवर्तन आदेश कार्यालय तहसीलदार बिलाड़ा कमांक राजस्व/ग्रा.क्षे.सं.प./आवासीय/2012/859 दिनांक 22.11.2012 मिश्रीलाल के नाम से जारी है तथा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर कमांक आवासीय/ग्रा.क्षे.सं.प./2012/426 दिनांक 06.12.2012 श्रीमती रामू के नाम से जारी है तथा इस आदेश के अधीन सब डिवीजन कर पार्श्वनाथनगर नाम से प्लानिंग की गई थी, उक्त खसरों की भूमि से संबंधित कोई वाद न्यायालय में विचारा[illegible] की पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के [illegible] सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को [illegible] सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं [illegible] होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार [illegible]लाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार बिलाड़ा.) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:54:16 IST
Reason: SelfAttested